

समाचार वाणी

खबर जो करें असर !

नाशिक | Tuesday, 22 September 2026

कॉर्पोरेट इंडिया पर CCI की सख्ती, पांच साल में 54 मामलों में ₹4,225 करोड़ से अधिक का जुर्माना

Sanket Morankar

Published on 22 Jun 2026



भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग (CCI) अब ऐसा नियामक बन चुका है जिसे कंपनियां नजरअंदाज नहीं कर सकतीं। पिछले पांच वित्तीय वर्षों में आयोग ने 54 मामलों में करीब **₹4,225.83 करोड़** का जुर्माना लगाया है। यह आंकड़ा दर्शाता है कि प्रतिस्पर्धा कानून का पालन अब केवल कानूनी औपचारिकता नहीं, बल्कि कॉर्पोरेट रणनीति का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है।

विशेषज्ञों का मानना है कि CCI की बढ़ती सक्रियता ने कंपनियों के लिए कारोबारी जोखिमों को नई दिशा दी है। हालांकि, इसके साथ ही उद्योग जगत में नियामकीय अनिश्चितता को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं।

लगातार सख्त होती गई CCI की कार्रवाई

पिछले कुछ वर्षों में आयोग की कार्रवाई में उल्लेखनीय वृद्धि देखने को मिली है।

- **FY21:** ₹1.34 करोड़ का जुर्माना
- **FY22:** ₹1,335.77 करोड़
- **FY23:** ₹2,672.48 करोड़ (रिकॉर्ड स्तर)
- **FY24:** ₹2.55 करोड़
- **FY25:** ₹213.69 करोड़

FY23 में सबसे अधिक जुर्माना डिजिटल प्लेटफॉर्म और ऑनलाइन कारोबार से जुड़े मामलों में लगाया गया, जबकि FY25 में व्हाट्सएप की प्राइवैसी नीति से जुड़े मामले में मेटा पर कार्रवाई प्रमुख रही।

डिजिटल बाजार पर विशेष नजर

प्रतिस्पर्धा कानून विशेषज्ञों के अनुसार CCI का फोकस अब पारंपरिक उद्योगों के साथ-साथ डिजिटल इकोसिस्टम पर भी तेजी से बढ़ा है।

ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, डिजिटल विज्ञापन, डेटा उपयोग, ई-कॉमर्स, आप्टरमार्केट प्रतिबंध, कार्टेल गतिविधियां और बाजार में प्रभुत्व के दुरुपयोग जैसे मामलों पर आयोग विशेष निगरानी रख रहा है।

विशेषज्ञों का कहना है कि अब केवल जुर्माना ही कंपनियों के लिए चिंता का विषय नहीं है, बल्कि कारोबार की रणनीति, प्रतिष्ठा और प्रबंधन पर पड़ने वाला प्रभाव भी उतना ही महत्वपूर्ण हो गया है।

बोर्डरूम तक पहुंचा प्रतिस्पर्धा कानून

प्रतिस्पर्धा कानून अब कंपनियों के लीगल विभाग तक सीमित नहीं रहा।

कई बड़ी कंपनियां अब:

- एंटीट्रस्ट ऑडिट करा रही हैं,
- कॉम्प्लायंस प्रोग्राम लागू कर रही हैं,
- डिस्ट्रीब्यूशन एग्रीमेंट की समीक्षा कर रही हैं,
- प्राइसिंग और डेटा शेयरिंग नीतियों में बदलाव कर रही हैं,
- संभावित जांच और “डॉन रेड” जैसी स्थितियों के लिए भी तैयारी कर रही हैं।

2024 में जारी **CCI Monetary Penalty Guidelines** के बाद कंपनियों को बेहतर कॉम्प्लायंस सिस्टम विकसित करने के लिए भी प्रोत्साहन मिला है।

बड़ी कंपनियां भी जांच के दायरे में

पिछले कुछ वर्षों में सीमेंट उद्योग, ऑटोमोबाइल कंपनियां, डिजिटल प्लेटफॉर्म, होटल बुकिंग प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया कंपनियां CCI की जांच और कार्रवाई के दायरे में रही हैं।

विशेषज्ञों के अनुसार आयोग अब बाजार में प्रतिस्पर्धा को प्रभावित करने वाले हर बड़े व्यवहार की गहराई से समीक्षा कर रहा है।

कंपनियों के सामने नई चुनौती

हालांकि विशेषज्ञ मानते हैं कि सख्त कार्रवाई से बाजार में अनुशासन बढ़ा है, लेकिन कई मामलों में कंपनियां अब भी नियामकीय सीमाओं को लेकर स्पष्टता चाहती हैं।

कई बड़े जुर्मानों के खिलाफ अपीलें विभिन्न न्यायिक मंचों पर लंबित हैं, जिससे अंतिम निर्णय आने में लंबा समय लग रहा है। इससे कंपनियों के लिए वास्तविक जोखिम का आकलन करना भी चुनौतीपूर्ण बना हुआ है।

बाजार में बढ़ी जवाबदेही

विशेषज्ञों का मानना है कि CCI की सख्त निगरानी से कंपनियां प्रतिस्पर्धा कानून के प्रति पहले की तुलना में कहीं अधिक गंभीर हुई हैं। डिजिटल अर्थव्यवस्था, डेटा आधारित कारोबार और बड़े कॉर्पोरेट विलय के दौर में आयोग की भूमिका लगातार बढ़ रही है।

पिछले पांच वर्षों में लगाए गए **₹4,225 करोड़ से अधिक** के जुर्माने इस बात का संकेत हैं कि भारत में प्रतिस्पर्धा कानून अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस का अहम हिस्सा बन चुका है और भविष्य में इसकी अहमियत और बढ़ने की संभावना है।